



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4212

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44749 वर्ष 2025**

मोहम्मद इबादत उर्फ इब्ने

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कुमार धनंजय

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

**न्यायालय संख्या - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल**

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री कुमार धनंजय, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, तथा श्री अरुण कुमार मिश्रा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध/प्राथमिकी संख्या 288 वर्ष 2025, धाराएँ 103(1), 238 बी.एन.एस., थाना इंदिरापुरम, जिला गाजियाबाद, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे असत्य रूप से फँसाया गया है। उसका नाम सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर आया है, जिसमें वह खोड़ा कमिश्नरेट गाजियाबाद पार्किंग कैमरे से प्रातः 7:23 बजे घटनास्थल की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है तथा लगभग 15 मिनट पश्चात वह अकेला लौटता बताया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि मृतक का शव-परीक्षण अगले दिन दिनांक 06.03.2025 को दोपहर 1:40 बजे किया गया तथा मृत्यु की अवधि 2/3

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिन बताई गई है, जिसका तात्पर्य है कि घटना लगभग मध्यरात्रि को हुई और आवेदक के अंतिम बार देखे जाने तथा घटना के बीच का अंतर 12 घंटे से अधिक है, जो सी.सी.टी.वी. फुटेज से मेल नहीं खाता, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 07.03.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने को तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये निवेदन को विवादित नहीं कर सके।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा यह ध्यान में रखते हुए कि अंतिम बार देखे जाने के समय और मृत्यु के समय के बीच का अंतर 12 घंटे से अधिक प्रतीत होता है, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह विचार रखता है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक - **मो. इबादत उर्फ इब्ने**, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये।
  - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
  - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
  - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

8 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।